द्वारा ईमेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्र सं0–टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014–3 **दिनांक:लखनऊ:मई 24, 2018**

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– **सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रथम चरण में दिनांक 1.1.2016 से लेकर दिनांक 22.05.2018 तक के ऐसे अपराधियों की सूचना जो 7 वर्ष से अधिक सजा वाले हों उनकी फोटो साइज 200 KB से कम एवं साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ फोटो कम्प्यूटर में एकत्रित कये जाने विषयक।**

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर **(CAS)** 4.5 वर्जन के माध्यम से पुलिस के समस्त प्रपत्र के साथ ही गिरफ्तारी प्रपत्र IIF-3 में दर्ज किया जा रहा है। जिससे सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपराधियों से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध हो सकें। सीसीटीएनएस पोर्टल पर गिरफ्तारी प्रपत्र IIF-3 की सूचना पर प्रदेश के समस्त थानों की समीक्षा की गयी। जिसमें जनपद द्वारा भरे जा रहे गिरफ्तारी प्रपत्र में फोटो साइज 200 KB से कम एवं साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ फोटो अपलोड नहीं किये जा रहे हैं।

2. उपर्युक्त के दृष्टिगत इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 22.05.2018 के कम में प्रथम चरण में दिनांक 1.1.2016 से लेकर दिनांक 22.05.2018 तक के ऐसे अपराधियों की सूचना निम्न निर्धारित प्रारूप में सुरक्षित कर ली जाय जो 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधी हों उनकी फोटो साइज 200 KB से कम एवं अपराधियों के साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ फोटो कम्प्यूटर में एकत्रित करके सुरक्षित रख लें:–

Scanned by CamScanner

प्रथम चरण में दिनांक 1.1.2016 से लेकर दिनांक 22.05.2018 तक के अपराधियों की सूचना कम्प्यूटर में सुरक्षित किया जाना						
कमांक	जनपद का नाम	थाने का नाम	अपराध संख्या	धारा	अपराधी का नाम	अपराधी की फोटो साइज 200 KB से कम एवं साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ फोटो

3. उपरोक्त फोटो को सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए इस मुख्यालय से 15 दिवस में एक साफ्टवेयर पैच जायेगा।

4. दिनांक 23.05.2018 के बाद निरन्तर जो गिरफ्तारियों होती जायेंगी, उन सभी की फोटो साइज 200 KB से कम एवं साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ फोटो अपलोड किये बिना न तो कोई चार्जशीट जारी होगी और न ही अरेस्ट मेमो ही समिट किया जाये।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त चोरी, वाहन चोरी, टप्पेबाजी, नकबजनी व चेन/ मोबाइल/ पर्स स्नैचिंग करने वाले अपराधियों का भी फोटो अपलोड करें।

6. उपरोक्त के सन्दर्भ में अनुरोध है कि आप समस्त सम्बन्धित अधिकारियों व क्षेत्राधिकारियों को तत्काल इस सन्दर्भ में अवगत करायें, ताकि उक्त कार्यवाही में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

24/5

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री प्रमोद कुमार , प्रोग्रामर ग्रेड—2, तकनीकी सेवायें को इस निर्देश के साथ कि कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
3. श्री कृष्ण मुरारी/तरू माथुर, प्रोग्रामर ग्रेड—2 उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस सम्बन्ध में समस्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) से अपेक्षित समन्वय एवं उपरोक्त के कियान्वयन हेतु।
4. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल/वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Scanned by CamScanner